612वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 दिसम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 612वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No. – 6663/2019 Smt. Kalpana Jain, Lease Owner, Malviya Ganj, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 3.92 ha. (20,170 tonne per annum) (Khasra No. 402, 412, 413), Village - Salaiya, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP).</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at Khasra No. 402, 412, 413, Village - Salaiya, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP) 3.92 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 466वीं दिनांक 26/11/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कल्पना जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि कच्चा रोड़ खदान के पूर्वी दिशा में आवंटित खनन् क्षेत्र से लगा हुआ तथा उत्तर दिशा में 45 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रोड़ उनके व आसपास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य खदानों का पहुंच मार्ग है तथा उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में पूर्व दिशा में अतिरिक्त 10 मीटर का सेटबैक (0.11 हे.) छोड़ा गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है, जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेंगा तथा

उनके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । वन मण्डलाधिकारी, कटनी के पत्र क्रमांक 5776 दिनांक 16/08/18 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नजदीकी वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 465 से लगभग 150 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है, अतः आपत्ति योग्य है, जिसके संदर्भ में कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01/09/18 के द्वारा पूर्ण अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है किंतु सेक के रिकार्ड अनुसार इस नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन हेतु अनुशंसा नहीं की गई है समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा बरहा टोला गॉव में पेयजल की समस्या के निदान हेतु हेंड पम्प की मॉग, धूल की समस्या, फेंसिंग, रोड़ मरम्मत एवं वृक्षारोपण हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डोलोमाइट खनन् हेतु सामान्यतः ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं किया जाता किंतु कभी–कभार हीविंग की स्थिति में ब्लस्टिंग की जाती है । अधिकतर उत्पादन रॉक ब्रेकर के द्वारा किया जाता है । खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तथा खनन् के पश्चात् जो पिट बनेगा, उसको वॉटरबाडी के रूप में विकसित किया जायेगा, जिससे आसपास के क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को बताया कि वन क्षेत्र पास में होने के कारण खनन् क्षेत्र के चारों ओर गेमप्रूफ फेंसिंग कराई जाये तथा 10 वर्ष पश्चात् खनन् की गहराई को ध्यान में रखते हुए गेमप्रूफ फेंसिंग के साथ–साथ ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे कि खनन् हेतु खोदे गये पिट में कोई जन/पशु हानि न हो । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट – 20,170 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.66 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
ग्राम सलैया के सरकारी स्कूल में 01 कम्पयूटर का वितरण किया जायेगा।	45,000/–
सलैया गावं में मौखिक स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन और प्रमाणित डॉक्टरों की देखरेख में कुछ बुनियादी दवांए वितरण कि जायेगी। सलैया गावं में दवाईयों का वितरण और पशुओं के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण शिविर का आयोजन कराया जायेगा।	30,000/–

ग्राम सलैया में पेयजल के लिए एक सबमर्सिबल व हैंड पंप की स्थापना कराई जायेगी।	95,000/–
उज्जवला योजना के तहत खदान के श्रमिकों को सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यावस्था कराई जायेगी।	30,000/–
परियोजना क्षेत्र के चारों ओर गेम प्रूफ फेंसिंग की व्यावस्था कराई जायेगी।	पहले से ही EMP में कवर किया गया है।
ग्राम सलैया के पास सड़क का रखरखाव कराया जायेगा।	पहले से ही EMP में कवर किया गया है।
योग	2,00,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4720 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, पीपल, नीम, कास्टर, खमेर, चिरौल, बबूल, और अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ।	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	बरगद, चिरौल, नीम, पीपल, करंज और अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा सुझाई गई प्रजातियां।	800
3	ग्राम सलैया के प्राथमिक विद्यालय में	अमलतास, सीताअशोक, नीम, कचनार, पुत्रजीवा, मौलश्री और अन्य सजावटी पौधों इत्यादि।	20
4	ग्राम सलैया के ग्रामवासीयों वितरण हेतु	अमरूद, बेर, जामुन, आंवला, आम,, मूनगा, और अन्य फलदार पौधों की प्रजातियॉ और औषधीय पेड़ हर्रा, बहेड़ा, इत्यादि।	1400
		कुल	4720

2. <u>Case No 8931/2022 Smt. Kamini Yadav, J-1035, Darpan Colony, Near Panchshila Temple, Thatipur Grid, Dist. Gwalior, MP - 474011 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 1605), Village - Kulholi, Tehsil - Sabalgarh, Dist. Morena (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1605), Village - Kulholi, Tehsil - Sabalgarh, Dist. Morena (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

612वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 दिसम्बर 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 548वीं दिनांक 10/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कामनी यादव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 260 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर–पश्चिम दिशा में 350 मीटर तथा पूर्व दशिा में 370 से 390 मीटर पर आबादी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण मुरूम उत्खनन का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–10 के सरल क्रमांक–04 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पानी का छिड़काव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.62 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 06.49 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
ग्राम इतवा के प्राथमिक विद्यालय में 01 सोलर लाईट (30 वॉट) की स्थापना कराई जायेगी।	25,000/–
ग्रामीणों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की जांच मौखिक स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन एवं पशुओं का टीकाकरण, व स्वास्थ्य की जांच कि जायेगी। और वृक्षारोपण फल एवं चारा देने वाले वृक्षों का वितरण किया जायेगा।	15,000/–
ग्राम इतवा के प्राथमिक विद्यालय के 78 बच्चों में पीटी शूज और मोजे का वितरण किया जायेगा।	30,000/–
योग	**70,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू , कस्टार आंवला, नीम, बबूल, चिरौल, सिस्सू, बरगद, खमेर, इत्यादि।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	शीशम, नीम, बबूल, खमेर, इत्यादि।	450
3	शासकीय विद्यालय वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, आंवला, करंज, पुत्रंजीवा, नीम, इत्यादि।	**50**
4	ग्राम कुलहोली, मुरवाई और इतवा के ग्रामवासीयों में फलदार वृक्षों का वितरण किया जायेगा।	मुनगा, आंवला, आम, कटहल, जामुन इत्यादि।	**3300**
		कुल	4800

3. <u>Case No 8852/2021 M/s Shrikrishandas Tikaram, Partner and Owner, Shri Ashwani Gautam, B-6 New ACC Colony, Katni MP Prior Environment Clearance for Bauxite and Fire Clay Quarry in an area of 1.04 ha. (14980 Cum per annum) (Khasra No. 1193, 1194, 1195), Village - Naikin, Tehsil - Rampur Naikin, Dist. Sidhi (MP) EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services , Bhopal.</u>

This is case of Fire Clay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1193, 1194, 1195), Village - Naikin, Tehsil - Rampur Naikin, Dist. Sidhi (MP). 1.04 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 536 वीं दिनांक 17/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री ए.एस. चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पूर्व से खुदी हुई हैं, जिसमें पानी भरा है, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में 2014 तक (2001 से 2014 तक 22,689 टन खनिज का खनन्) खनन् कार्य किया गया है एवं उसके पश्चात् से खनन् पर्यावरणीय अभिस्वीकृति न होने के कारण बंद है तथा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित क्षेत्र के पूर्व दिशा में पानी भरा है, जिसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 03 मीटर तक पानी भरा है, जिसे उत्तर दिशा में बनाये गये सेटलिंग टैंक में संग्रहित किया जायेगा तथा खनन् कार्य के दौरान जल छिड़काव

एवं वृक्षारोपण कार्य में उपयोग में लाया जायेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 100 मीटर तथा पश्चिम दिशा 300 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर एक मकान है, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मकान उनका स्वयं का है, जो साइट आफिस एवं वर्कर के रेस्ट शेल्टर के रूप में खनन् के दौरान उपयोग में लाया जायेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनके आवंटित खनन् क्षेत्र तक पहुॅच मार्ग है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन् मैन्युअली किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पेयजल की समस्या–नलकूप लगाने हेतु सुझाव, स्वास्थ्य शिविर, रोड़ मरम्मत एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम. पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग नही की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता बॉक्साईट एवं फायर क्ले – 14,980 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.52 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 09.23 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in Rs lakhs**
1	Two handpump at Aganwadi center and School	3.00
2	Free health camp for villagers in once in a year	0.50
3	Maintenance of Road (70m length)	0.10
4	Donation in terms article to School/Aganwadi of village Naikin as per requirement (one time)	1.00
	Total	**4.60**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2120 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**
1st year	Along with barrier zone (421m)	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Khamar, Slips of Agaive Americana Gattayon and seeds of Subabul and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	500

3rd year to 7th year	Backfilled area	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamar and other local species etc.Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	700
		Total	**1200**
1st Year	Along the road	Neem, Kadam, Aam, Munga	**20**
1st year	For distribution of villagers	Neem, Jamun, Jam, Anwla, Aam, Munga	**1000**
		Total	**2120**

4. <u>Case No 8650/2021 Shri Sunil Kumar Singh S/o Shri Rampal Singh, Village - Pachkhora, Post - Waidhan, Dist. Singrauli, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.680 ha. (27094 cum per annum) (Khasra No. 1169/1, 1180, 1186, 1187), Village - Makrohar, Tehsil - Mada, Dist. Singrauli (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1169/1, 1180, 1186, 1187), Village - Makrohar, Tehsil - Mada, Dist. Singrauli (MP) 1.680 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 533वीं दिनांक 14/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील कुमार सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के समय परियोजना प्रस्तावक ने बताया था कि खनन् हेतु रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा एवं तत्संबंधी वचन–पत्र प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के समय परियोजना प्रस्तावक ने बताया था कि आवंटित खनन् क्षेत्र का वह भाग जहॉ अधिक पेड़ लगे है, नॉन माईनिंग जोन घोषित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में संलग्न है । खनन् के दौरान कुल 20 पेड़ काटे जायेंगे, जिनकी इंवेंट्री दी गई हैं तथा इनके एवज् में 200 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि उनके द्वारा आंवटित खनन् क्षेत्र में 150 पौधें दिनांक 15/08/22 को लगाये गये हैं तथा 350 पौधें दिनांक 16/08/22 को ग्राम वासियों में वितरित किए गए हैं तथा इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 63 के सरल क्रमांक–78 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पानी का छिड़काव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी एवं खनन् रॉक ब्रेकर मे माध्यम से किया जावेगा तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत

की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 27,094 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.58 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 13.24 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.24 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in Rs Lakh**
Adaptation of Aganwadi	Adaptation of Anganwadi for 1yr for supply of food and milk Makrohar	1.00
Distribution of Plant in village	350no. of trees have already been distribute to villagers on 16.08.2022 and another 1650no, of trees will be distribute to villagers	0.24
Total		**1.24**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4120 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants**
1st year	In barrier zone (830m)	Neem, Anola, Bel, Karanj, Khamer, Sissoo, and other local species	850 +150 (alreadyplanted)
3rd to CP	Backfilled area	Neem, Anola, Bel, Karanj, Khamer, Sissoo and other local species	800
1st year to 2nd year	Along the transport route (400m) 2.5m distance with 1m height	Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal and other local species	320
1st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1650+350 (already distributed on 16.08.2022)

5. <u>Case No 9432/2022 Shri Shabbir Pakawala, Leasee R/o 16, Rambaag, District Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (Expension from 3007 Cum per year to 20000 cum per year) (Khasra No. 273/17), Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 273/17), Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam,

Dist. Ratlam (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री शब्बीर पकवाला (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज को देखने पर समिति ने पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड खदान की आकृति का मिलान अनुमोदित खनन् योजना (पेज क्रमांक–16) से नहीं हो रहा है । इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में वर्ष 2017 में डिया से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति (प्रकरण क्रमांक–45/2017 दिनांक 22/08/17) प्राप्त की गई थी । समिति ने पाया कि लगभग 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों से समिति को अवगत नहीं करा सके और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर सके, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विगत 05 वर्षो में उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कोई कदम उठाये गये हैं । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज को देखने पर भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के प्रमाण नहीं पाये गये । उपरोक्त परिदृश्य में समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तो का पालन न कर क्षमता विस्तार हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर रहे है, अतः समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक पहले अभी तक पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी (पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो के अनुसार) मय फोटोग्राफ एवं दस्तावेजों के साथ एवं खदान की खसरा मेप एवं अनुमोदित खनन् योजनानुसार आकृति एवं स्थिति की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें, उसके पश्चात् टॉर हेतु विचार किया जाये एवं तब तक प्रकरण नस्तीबद्ध करने हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

6. <u>Case No 9460/2022 Shri Ram Singh, Owner R/o Panchkuva Shankarpur, Makshi road, District Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 159), Village - Gunaikhalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 159), Village - Gunaikhalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 1.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

612वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 दिसम्बर 2022

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 02/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 625 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 14 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 625 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. Case No 9455/2022 M/s V.V.C.S.R.L Project Pvt. Ltd, Authorized Person Shri Brij Kishore Singh, A.B.Road, Raghavgarh, Dist. Guna, MP - 473226, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (5,000 Cum per annum) (Khasra No. 294/1), Village - Semra Angad, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 294/1), Village - Semra Angad, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रिज किशोर सिंह अधिकृत प्रतिनिधि (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम विशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 20/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 835 मीटर तथा उत्तर दिशा में 850 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 145 मीटर पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है । एकल प्रमाण–पत्र में यह उल्लेखित है कि आवंटित खनन् क्षेत्र के 150 मीटर पर मंदिर तथा 100 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरूम का खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 06 पेड़ है, जिन्हें काटा नहीं जायेगा तथा जो क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित हैं, उसे नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा गया है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि छोड़े गये नॉन माईनिंग जोन में चारा एवं घॉस प्रजाति के वृक्ष लगाये जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–27 के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.88 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल सेमरा आंगड में रंगाई पुताई, फर्नीचर (20 लकडी की बेंच और 2 अलमारी)	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
4	नॉन माइंनिग जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, आवंला, सीताफल, खमेर, बॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	800
		कुल	**2400**

8. <u>Case No 9456/2022 Shri Abhishek Kumawat, Leasee, R/o Villag Chakrawada, Tehsil Ghattiya, District Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आंवटित खनन् क्षेत्र में लगभग 07 पेड़ लगे हैं तथा प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र की जो इमेज ऑनलाईन अपलोड की गई तथा जो प्रस्तुतीकरण में दिखाई जा रही है, उसमें अंतर हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्रमाणित दस्तावेजों सहित तथा

आवंटित खनन् क्षेत्र में लगे पेड़ों की इंवेंट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित) आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत करें ।

9. <u>Case No 9457/2022 Shri Sonu Rajak S/o Shri Rambabu Rajak R/o Ward No. 8, Chhipeti Mohalla, Tehsil Bhander, District Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 2.00 ha. (19,992 cum per year) (Khasra No. 273), Village - Tatarpur, Tehsil - Bhander, Dist. Datia (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 273), Village - Tatarpur, Tehsil - Bhander, Dist. Datia (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू रजक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री सचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 267 दिनांक 21/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 05.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ पर आवंटित है, जिसके उत्तर दिशा में 400 मीटर पर नहर, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ हैं । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में कुछ भाग खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान दिनांक 09/05/22 को इसी स्थिति में आवंटित हुई है तथा यह खनन् कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरूम का खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–58 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 19,992 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.22 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.16 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)

शासकीय प्राथमिक स्कूल में मरम्मत और पुताई का कार्य किया जायेगाए यह कार्य भू प्रवेश मिलने के पश्चात 1 साल के अंदर यह कार्य किया जायेगा।	**50,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
		कुल	2400

10. <u>Case No 9458/2022 Shri Kothuru Durga Rao, Authorized Singnatory, R/o Mohan Takies Road, District Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 5.963 ha. (104498 TPA) (Khasra No. 44/1, 65/1ka, 65/3kha), Village - Paraikap, Tehsil - Barwara, Dist. katni (MP)</u>

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 44/1, 651ka, 65/3kha), Village - Paraikap, Tehsil - Barwara, Dist. katni (MP) 5.963 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री कोठरू दुर्गा राव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 950 मीटर पर तालाब हैं तथा एकल प्रमाण–पत्र अनुसार उत्तर–पश्चिम सीमा से 450 मीटर की दूरी पर नाला है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने

पाया कि पी–2 खसरा ऑनलाईन अपलोड नहीं है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदन मात्रा 104498 टन/वर्ष हेतु किया गया है जबकि अनुमोदित खनन् योजना मात्रा 100669 टन/वर्ष हेतु है, अतः इस संबंध में ई.आई. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाये । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 17/05/22 के द्वारा सूचित किया गया कि कटनी जिले डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डी.एस.आर.) वर्ष 2016–17 में तैयार की गई थी विषयांकित उत्खनिपट्टा डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डी.एस.आर.) में सम्मिलित है । समिति ने अनुशंसा की कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 950 मीटर पर तालाब हैं तथा एकल प्रमाण–पत्र अनुसार उत्तर–पश्चिम सीमा से 450 मीटर की दूरी पर नाला है, अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. आवेदन मात्रा 104498 टन/वर्ष हेतु किया गया है जबकि अनुमोदित खनन् योजना मात्रा 100669 टन/वर्ष हेतु है, अतः इस संबंध में ई.आई. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पी–2 खसरा ऑनलाईन अपलोड नहीं है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 17/05/22 के द्वारा सूचित किया गया कि कटनी जिले डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डी.एस.आर.) वर्ष 2016–17 में तैयार की गई थी विषयांकित उत्खनिपट्टा डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डी.एस.आर.) में सम्मिलित है ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

11. <u>Case No 9459/2022 M/s Pranavi Enterprises, Prop. Shri Pranya Kumar Singh R/o 354, 3rd Floor, Lekhraj Khajana, Indira Nagar, Lucknow (UP)-226016, Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 3.00 ha. (39330 TPA) (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP)</u>

This is case of Pyrophyllite and Diaspore Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रणय कुमार सिंह एवं श्री मधुर सिंह एवं पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 921 दिनांक 30/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–51 के सरल क्रमांक–126 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रकरण के विवेचना के दौरान पाया गया कि :–

- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं लोड हो रही है, अतः आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियेाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी दिशा में आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अवैध कब्जा है । इसी प्रकार तहसीलदार के पत्र दिनांक 02/05/17 के अनुसार भी आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट एवं स्कूल प्राथमिक शाला लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। समिति चर्चा उपरांत अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक आबादी के संरक्षण हेतु योजना, कितने मकान हैं एवं आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसकी योजना प्रस्तुत करें ।

- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड खनन् योजना अनुसार खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में स्थित आबादी के कारण खनन् कार्य ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से करेंगे, अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ–पत्र प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–38 (a)Have you hired Consultant for preparing document में No एवं क्रमांक–38 (i)Reason for not Hiring the Consultant में It is draft stage but will be appointed before submitting of final copy. उल्लेख है, अतः सही स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–14.6 (a) Range of Water Table Pre-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 25 To 30 जबकि b)Range of Water Table Post-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 4 To 5 उल्लेखित है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फार्म–2 के सरल क्रमांक–35 (11) में गहराई 08 मीटर दर्शाई गई है, अतः यदि पोस्ट मानसून वाटर लेवल 4 से 5 मीटर है तो ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन की संभवना होगी, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–16.1 Waste Water Management(During Operation- Rainy Water उल्लेखित है, जिसमें खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले दूषित जल का विवरण देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–17 Solid Waste Generation/Management की जानकारी में एम.एस. डब्लू. की जानकारी का विवरण भी देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ वन मण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 22/03/22 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से कक्ष क्रमांक पी 181 से 180 मीटर दूरी पर स्थित है, अतः संभागीय समिति की अनुशंसा प्रस्तुत करें।
- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 27/09/2018 अनुसार खदान दिनांक 01/11/97 से स्वीकृत है तथा अनुमोदित खनन् योजना के बिंदु 3.3 (IV) अनुसार वर्ष 1992–93 से वर्ष 2016–17 तक 2885 मै.टन उत्पादन किया गया है, अतः स्पष्ट करें कि किस वर्ष तक उत्पादन किया गया है एवं किस वर्ष से उत्पादन बंद है एवं आज दिनांक तक किये गये खनन् कार्य का विवरण तथा संबंधित खनिज अधिकारी की असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12. <u>Case No 9461/2022 Smt. Ashiya Begam, Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori, MP - 481990, Amendment in Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 0.56 ha. (3800 Cum per annum) (Khasra No. 626/1), Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 626/1), Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori (MP) 1.0 Ha. The project requires amendment in EC.

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आशिया बेगम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 110 दिनांक 31/05/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

पूर्व में यह प्रकरण क्रमांक 9009/2022 (Smt. Ashiya Begam, Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori, MP - 481990 Amendment in Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (3800 Cum per annum) (Khasra No. 626/1), Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori (MP)) के नाम से पंजीकृत था, जिसमें सिया के पत्र क्रमांक 1656 दिनांक 23/09/22 के माध्यम से उनकी 746वीं बैठक दिनांक 13/09/22 में निम्न निर्णय लिया है :–

''.... उक्त प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के संशोधन का है, क्योंकि प्रकरण में स्वीकृत लीज का रकबा 1.0 हे. था, जिसमें डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जो कि नवीनीकरण हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेख से मिलान अनुसार पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 626 के दो भागों में लम्बवत खसरा क्रमांक 626/1 एवं 626/2 में बटांकन होने से उक्त आवेदित क्षेत्र क्रमशः 0. 56 हे. एवं 0.44 हे. है तथा आवेदक द्वारा 626/2 के भू–स्वामी से सहमति नहीं ली गई है, इस कारण से आवेदक को कुल रकबा 0.56 हे. पर पत्थर खदान हेतु नवकरण स्वीकृत किया गया है । उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के आवेदन में कुल रकबा 1.00 हे. से कम है । अतः प्रकरण को रिजेक्ट किया जाता है'' ।

परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा लीज नवीनीकरण के कारण लीज एरिया 1.0 hect. से 0.56 hect. किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि 0.44 हे. भू–स्वामी द्वारा सहमति नहीं दी गई है। समिति द्वारा संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पाया कि उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम–4(4) अनुसार (*''उत्खनन् पट्टे के नवीनीकरण की दशा में, उत्खनन् पटटा प्रदाय किये जाने के लिए न्यूनतम् क्षेत्र के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे''*) न्यूनतम् क्षेत्र 01 हेक्टेयर का प्रतिबंध नवीनीकरण के प्रकरणों पर लागू नहीं होता । समिति ने अनुशंसा की कि चूँकि समिति ने इस प्रकरण (पूर्व में प्रकरण क्रमांक 9009/2022) पर 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 में अपनी अनुशंसायें पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित कर चुके है, अतः उन्हीं अनुशंसाओं को इस प्रकरण में मान्य किया जाये तथा प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये ।

13. <u>Case No 7849/2020 Shri Mohan Singh S/o Shri Kamal SIngh, Gram - Akyanajik, Tehsil - Nagda, Dist. Ujjain, MP Ammenment in Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (Stone - 8001 cum per annum and M-</u>

Sand- 3429 cum per annum, Total 11,430 cum per annum) (Khasra No. 484), Village - Akyanajik, Tehsil - Nagda, Dist. Ujjain (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 484), Village - Akyanajik, Tehsil - Nagda, Dist. Ujjain (MP) 1.50 Ha. The project requires ammenment in EC.

परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन बावत् फार्म–4 ऑन लाईन प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में दिनांक 27/10/20 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता स्टोन –5250 मी.^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर संशोधित उत्पादन क्षमता स्टोन –8001 मी.^{3} प्रति वर्ष, एम–सेंड –3429 मी.^{3} प्रति वर्ष (अनुमोदित खनन् योजना अनुसार) हेतु अनुरोध किया है ।

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री मोहन सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि आवेदक ने निर्धारित प्रपत्र फार्म–4 में कुछ जानकारियॉ अपूर्ण है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पुनरीक्षित फार्म–4 एवं जानकारियॉ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके :–

1. प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, उज्जैन का अधूरा पत्र अपलोड किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं होता कि क्या आवेदक को एम–सेंड हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है अथवा नहीं ।
2. फार्म–4 के सरल क्रमांक–7 (Amendment Sought for) Amendment in Configuration/ Amendments in Clearance condition/ other (specify): पर others- It is case of change in EC Title. There is no change in configuration or capacity उल्लेखित है, जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण दिया जाना चाहिए।
3. फार्म–4 के सरल क्रमांक–9 पर Details of Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण नही दिया गया है अतः इसको शामिल कर पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
4. फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 पर पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन का विवरण (कितना स्टोन एवं कितना एम–सेंड) स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 में आवश्यक संशोधन/क्षमता का उल्लेख करते हुए पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
5. फार्म–4 के सरल क्रमांक–12 में "Have you hired Consultant for preparing document" में No लिखा है जबकि 13 (ई) में पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल का शपथ–पत्र एवं सर्टिफिकेट अपलोड है, अतः परियोजना प्रस्तावक स्थिति स्पष्ट करें ।
6. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता स्टोन–5250 घनमीटर/वर्ष हेतु जारी हुई, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक ने सीटीओ स्टोन क्रशिंग – 3250 घनमीटर/वर्ष एवं स्टोन सेंड–2,000 घनमीटर/वर्ष लिया गया, अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक स्थिति स्पष्ट करें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड लीज आर्डर दिनांक 14/12/18, पी–2 फार्म खसरा, खसरा मेप, सीटीओ एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा नं. 485 उल्लेख है जबकि पीएफआर, ईएमपी एवं माइन प्लॉन में खसरा नं. 485 एवं 487 का उल्लेख है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक स्थिति स्पष्ट करें ।
8. पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 27/10/20 को जारी हो गई थी, जिसके अनुसार 1800 पौधों का वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. में रू. 01.50 लाख के कार्य किये जाने थे, तत्संदर्भ में पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यो का व्यौरा दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें ।
9. अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
10- संशोधित खनन् योजना का अनुमोदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक 647 दिनांक 15/09/22 के माध्यम से किया गया है, जिसमें उत्पादन क्षमता स्टोन –8001मी.^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड –3429 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु संशोधन (कुल 11,430 मी^{3} प्रति वर्ष) करने का अनुरोध किया है, जो कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक है, अतः स्थिति स्पष्ट करें ।

उपरोक्त संदर्भ में समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी 15 दिवस में प्रस्तुत करें एवं यदि प्रकरण क्षमता विस्तार का है तो क्षमता विस्तार हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि वर्तमान आवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है।

14. <u>Case No 9381/2022 M/s Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla, MP - 481661, Prior Environment Clearance for Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for 49000 Tonne Per Annum capacity of Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP).

This is a rolling mill project. All non –toxic secondary metallurgical processing industries manufacturing >5000 tones/annum metal components are covered under the EIA Notification 2006 as amended 2009 and are mentioned at S.N 3(a), B. Hence these projects are required to obtain prior EC before establishment. The case was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TORs' to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by the PP Shri Bharat Khandelwal and their Env. Consultant Shri G.K. Mishra from M/s. Global Management & Engineering Consultants International, Jaipur. During presentation, it was observed by the committee that online uploaded Google image of approx. 8.00 to 10.00 ha area while in presentation and online uploaded project

details the proposed area is 1.99 ha., which is a serious discrepancy on part of PP. similarly, the capacity is also mentioned differently in online application (In Category of the Project/Activity it is provided as 0.049 MTPA while in Common Application Form at point no. 1.4 Description of Project the capacity is mentioned as 5,00,000 TPA) which needs necessary corrections. Thus committee after deliberations asked PP to submit clarification on above and submit corrected details of the project proposal for its further consideration.

PP vide dated 15.11.2022 submitted on-line query reply on Parivesh Portal which were asked in the SEAC 604th meeting dated 05.11.2022. PP submitted following details about the project as :

- FORM –I, Pre-Feasibility Report & Environmental Management Plan.
- QCI /NABET certificate (valid upto Feb.06, 2022) with extension letter which was valid upto only 07.11.2022.
- Proposed layout plan of M/s. Shakambari Ferrous Pvt. Ltd.
- PP's affidavit regarding that all submitted information is true and correct and if any false and misleading information found then sole responsibility shall be of authorized signatory.
- Affidavit of PP & Env. Consultant that all submitted information is true and correct and if any false and misleading information found then sole responsibility shall be of Env. Consultant.

Hence, in the light of the above the case was scheduled for presentation for TOR.

The case was presented by the PP Shri Bharat Khandelwal and their Env. Consultant Shri G.K. Mishra from M/s. Global Management & Engineering Consultants International, Jaipur, wherein submitted this is a new proposed unit is categorized under 3 (a), Proposed Capacity – 49,000 TPA of Billets and TMT Bar in an area of 1.99 ha.. The site is mostly plain and no change in the topography. There will be no solid waste generation from the plant. However, dust collected by the Pollution Control Equipment's will automatically be recycled in the process. PP further submitted that there is no residential area proposed in the project. Most of the local people will only be employed, so the need of additional residential colony in the plant premises will not be required. However when the project comes into setup, a temporary workers colony is proposed for a short time till the completion of the project.

The Committee after deliberations decided that being expansion project the EIA should be carried out hence, recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. PP shall install Secondary Fumes Extraction System (SFES) for air pollution control.
2. Status of land is residential thus land use shall be diverted to industrial/commercial and same shall be submitted with EIA report with credible proofs.
3. Water balance with source of water to be furnished along with the consent/permission for supply of requisite quantum of water from the competent authority.
4. Proposal for "Zero Liquid Discharge".
5. Mass balance for the solid waste for entire plant to be presented in the EIA report.
6. Characterization of slag and its utilization potential should be discussed in EIA report.
7. To avoid fugitive emissions, all the internal roads shall be made pucca and proposal shall be discussed in EIA report.
8. Adequate numbers of mechanical sweeping machines shall be proposed in EMP to avoid dust in ambient environment and same shall be discussed in EIA with justification.

15. <u>Case No 9384/2022 Shri Yagya Jat S/o Shri Kailash Jat, 107/1, Tripurti Nagar, Dist. Dhar, MP - 454001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (21000 Cum per annum) (Khasra No. 958 Peki), Village - Khareli, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 958 Peki), Village - Khareli, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 261 दिनांक 17/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में एक रोड़ 90 मीटर पर स्थित है एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में 860 मीटर की दूरी पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में रोड़ नेटवर्क दिख रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में किसी आवासीय या औधोगिक क्षेत्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त रोड़ नेटवर्क के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक कोई समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही कर सके अतः समिति ने परियोयजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे इस संदर्भ में वे सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) से यह विवरण प्राप्त करें कि आवेदित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में क्या विकासत्मक गतिविधी प्रस्तावित है तदुपरांत प्रकरण पर आगे विचार किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/11/22 को अपलोड की गई, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 15/12/22 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण समिति की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें आवेदित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में रोड़ नेटवर्क दिख रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में किसी आवासीय या औधोगिक क्षेत्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है । इस संदर्भ में तहसीलदार ने पत्र दिनांक 22/11/22 के माध्यम से सूचित किया है कि उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक–49/1 पर पक्की सड़क बनाई गई है एवं किसी प्रकार उद्योग संबंधी निर्माण कार्य मौके पर नहीं पाया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से भी एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्वी दिशा में जब रोड़ बनाई जा रही थी उस समय वहॉ तक आने–जाने हेतु इस कच्चे रोड़ का उपयोग किया जाता था एवं वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 59 के सरल क्रमांक–02 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 21,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.62 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम खरेली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में रंग-रोगन और सफाई का काम करवाया जायेगा	80, 000

खरेली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सीवरेज प्रणाली का निर्माण किया जायेगा	40, 000
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 24वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
2	परिवहन मार्ग में(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	350
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, मुनगा, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1550
		कुल	**2400**

16. <u>Case No 8817/2021 Smt. Dolly Sharma W/o Shri Raman Sharma, Near Kajol Talkies, Falka Bazar, Lashkar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (27048 Cum per annum) (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) Env. Consultant Apex Min Tech. Udaypur, Rajasthan</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 534वीं दिनांक 15/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्रीमती डोली शर्मा (आन लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से कोई पेड़ नहीं काटा जायेगा क्योंकि दोनों ही पेड़ 7.5 मीटर के बैरियर जोन में है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया

गया कि खदान क्षेत्र पूर्वी भाग से 95 मीटर तथा दक्षिण भाग से 80 मीटर की दूरी पर जलाशय है, तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 80 मीटर की दूरी एच.एफ.एल. से हैं तथा उनके द्वारा म. प्र. एम.एम.आर., 1996 के अनुसार तालाब से 100 मीटर की दूरी छोड़ने हेतु दक्षिण भाग में 20 मीटर का सेट–बैक खदान के अंदर प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान विद्यालय में खेल कूद की सामग्री, स्ट्रीट लाईट की व्यावस्था, ग्रामीणों के लिये कृषि प्रशिक्षण शिविर, मेडिकल चेकअप कैंप इत्यादि कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है किंतु प्रभारी खनिज अधिकारी, ग्वालियर ने पत्र दिनांक 21/10/21 में यह उल्लेखित किया है कि इस स्वीकृत खदान के विवरण नई जिला सर्वेक्षण में दर्ज किये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण सरल क्रमांक–176 पर दर्ज है किंतु यह जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी सिया द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म–2 में उल्लेखित विवरणों में सुधार की आवश्यकता है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–14.6 में भू–जल का स्तर 170 मीटर से 175 मीटर दर्शाया गया है जबकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में यह 55 से 60 मीटर दर्शाया गया है, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–17.1 में एम.एस.डब्लू की कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा माईन वेस्ट का मोड आफ डिस्पोजल अथोराईज्ड रिसाईकलर दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।
- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–30 (3) में वाटर वाडी से दूरी 1.32 (संभवतः किलोमीटर) में दर्शायी गई है जबकि गूगल इमेज (इमेज नवम्बर, 21) के अनुसार वाटर बाडी दक्षिण दिशा में 77 मीटर की दूरी पर हैं, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये ।
- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–35 (11) में खदान की प्रस्तावित गहराई 30 मीटर दर्शाई गई है तथा उपलब्ध खनन् योग्य क्षेत्र 0.75 है तथा जलाशय के कारण दक्षिण दिशा में 20 मीटर का सेट–बैक भी छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है । अतः कृपया बतायें कि किस प्रकार उपलब्ध खनन् योग्य क्षेत्र में 30 मीटर की गहराई प्राप्त की जायेगी तथा मेन एण्ड मशीन डिप्लॉयमेंट हेतु पिटवॉटम में कितनी जगह उपलब्ध होगी ।
- ✓ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

The case was appraised in 586nd SEAC meeting dated 21/07/22 wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is not submitted and thus the case was placed in agenda for delisting. However, after scheduling the case in agenda, PP submitted the reply. The case was scheduled for

presentation in the 595th SEAC meeting dated 22/09/22 wherein PP or their authorized representative/ consultant remain absent.

Committee observed that PP of above case have not submitted the desired information and case was pending for > 30 days. SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/21 and according to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP have not submitting desired information even after 30 days of appraisal and even after placing the case in agenda PP remains absent seems to be deliberate attempt for delying the decision. The committee was of the opinion that this case may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएस) द्वारा उनकी 752वीं बैठक दिनांक 15/10/22 में विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरोक्त एसईएसी की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को डिलिस्ट किया जाता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31/10/22 के माध्यम से प्रकरण को रिलिस्ट करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा उनकी 757वीं बैठक दिनांक 18/11/22 में विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को रिलिस्ट किया जाता है एवं प्रकरण परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये । तद्नुसार प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध कर समिति के समक्ष रखा गया ।

परियोजना प्रस्तावक सुश्री डॉली शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा फार्म–2 में सुधार कर जानकारी, संशोधित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पिट वॉटम पर 99.73 X 18.40 मीटर की जगह उपलब्ध होगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 21,000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.52 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
ग्राम बिलौआ में मुंह की स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया जायेगा (बार 2 वर्ष में)	50,000
आधुनिक कृषि तकनीक प्रशिक्षण के लिए ग्राम बिलौआ में शिविर का आयोजन किया जायेगा 2 वर्ष में) (बार	50,000
ग्राम बिलौआ शासकीय प्राथमिक विद्यालय में खेल के उपकरण दिए जायेंगे	50,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 24वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, सीताफल चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	200
2	परिवहन मार्ग में(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	350
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, सीताफल,अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	650
		कुल	1200

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.